एम0 देवराज
आई0ए0एस0

उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन, 14– अशोक मार्ग, लखनऊ
ई–मेल : mduppcl12@gmail.com
दूरभाष – (0522) 2288377 (का0) फैक्स – (0522) 2288410
CIN : U32201UP1999SGC024928

पत्रांकः 105 /मु0अ0(वाणिज्य)/सी0यू0–दो/ओ0टी0एस0/2019–20 दिनांकः नवम्बर, 10 ,2019

विषय– ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के एल0एम0वी0–1 (अधिकतम 4 किलो वाट के विद्युत भार तक) दर श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं के लिये "आसान किश्त योजना" लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

ई–मेल/
स्पीड पोस्ट

प्रबन्ध निदेशक
मध्यांचल/पूर्वान्चल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल
विद्युत वितरण निगम लि0
लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा।

प्रबन्ध निदेशक
केस्को
कानपुर

महोदया/महोदय,

समस्त विद्युत वितरण निगमों के निदेशक मण्डल के अनुमोदन के उपरान्त दिनांक 11.11.2019 से 31.12.2019 तक ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के एल0एम0वी0–1 (अधिकतम 4 किलो वाट के विद्युत भार तक) दर श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं के लिये **"आसान किश्त योजना"** लागू की गयी है।

उपरोक्त योजना का सम्पूर्ण विवरण संलग्न करते हुये अनुरोध है कि उक्त योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार कराते हुए योजना प्रभावी ढंग से लागू करने की व्यवस्था करें, जिससे अधिकतम राजस्व प्राप्त हो सके।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

(एम0 देवराज)
प्रबन्ध निदेशक

पत्र संख्याः /मु0अ0(वाणिज्य)सीयू–दो/ओ0टी0एस0/2019–20 तद् दिनांकः–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को ससंलग्नक सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. निदेशक (वित्त/वितरण/कॉ0प्ला0/का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. कम्पनी सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. जनसम्पर्क अधिकारी, उ0प्र0पा0का0लि0,शक्ति भवन, लखनऊ।

(एम0 देवराज)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि
1 प्रमुख सचिव (ऊर्जा), बापू भवन, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2 समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

"आसान किश्त योजना का पूर्ण विवरण"

विषयः– ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के एल0एम0वी–1 (अधिकतम 4 किलो वाट के विद्युत भार तक) दर श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए "आसान किश्त योजना" लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

विद्युत वितरण निगमों के निदेशक मण्डल के अनुमोदन के उपरान्त ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के 4 किलो वाट तक के विद्युत भार तक एल0एम0वी0–1 दर श्रेणी के बकायेदारों को उनके दिनांक 31.10.2019 तक के विद्युत बिलों में मूल धनराशि को किश्तों में भुगतान की सुविधा प्रदान करने हेतु यह योजना लागू की जा रही है।

बकायेदार उपभोक्ताओं को उनके दिनांक 31.10.2019 तक के विद्युत बिलों में मूल धनराशि को शहरी क्षेत्र के लिए अधिकतम 12 किश्तों एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिए अधिकतम 24 किश्तों (प्रत्येक किश्त धनराशि रू0 1500 से कम की नही निर्धारित की जा सकेगी) में भुगतान की सुविधा प्रदान की जायेगी। उपभोक्ता द्वारा मूल धनराशि के किश्तों में भुगतान के साथ सभी मासिक बिलों को जमा करने के पश्चात् उनके 31.10.2019 तक के विलम्बित भुगतान अधिभार की धनराशि समाप्त कर दी जायेगी।

योजना के मुख्य बिन्दु निम्नवत है :–

1 **आसान किश्त योजना के पंजीकरण की अवधि :–**

(i) उपभोक्ता जिन्हें बिल संशोधन की आवश्यकता नहीं है :–

यह योजना दिनांक 11.11.2019 से 31.12.2019 तक लागू रहेगी।

(ii) उपभोक्ता जिन्हें बिल संशोधन की आवश्यकता है :–

यह योजना दिनांक 11.11.2019 से लागू होगी। जो बकायेदार उपभोक्ता 31.12.2019 तक अपने विद्युत बिलों में संशोधन किये जाने का विकल्प देगें उन्हें संशोधित बिल प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर अपना पंजीकरण कराना होगा।

2 **पंजीकरण कार्यालय :–**

योजना का पंजीकरण अधि0अभि0/एस0डी0ओ0 कार्यालय एवं सी0एस0सी जनसुविधा केन्द्रों पर होगा।

3 **योजना में पंजीकरण की प्रक्रिया :–**

इस योजना का लाभ पाने हेतु उपरोक्त श्रेणी के उपभोक्ताओं को योजना के अन्तर्गत सर्वप्रथम ऑनलाइन पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। उपभोक्ता को पंजीकरण, भुगतान एवं बिल संशोधन विकल्प चुनने की व्यवस्था केवल ऑनलाइन प्रणाली पर ही उपलब्ध एवं मान्य होगी। उपभोक्ता को यह सुविधा सभी खण्ड/उपखण्ड कार्यालय एवं CSC जनसुविधा केन्द्रों पर उपलब्ध होगी। उपभोक्ता को केवल अपना खाता संख्या बताना होगा जिसकों ऑनलाइन प्रणाली के

भुगतान पोर्टल पर डालते ही उपभोक्ता का समस्त विवरण यथा :– बिल धनराशि, सरचार्ज, भुगतान की स्थिति इत्यादि स्क्रीन पर परिलक्षित होगी। पंजीकरण के समय उपभोक्ता का फोन नम्बर एवं बिल संशोधन का विकल्प अवश्य लिया जायेगा। पंजीकरण के समय दिनांक 31.10.2019 तक बिल में दर्शायी जा रही बकाया मूल धनराशि (सरचार्ज रहित) का 5 प्रतिशत अथवा न्यूनतम रू0 1500 के साथ, वर्तमान बिल को जमा करना होगा। इसके उपरान्त आगामी माहों के बिल किश्तों के साथ निर्गत किये जायेंगे। पंजीकरण के पूर्व यदि उपभोक्ता बिल संशोधन का विकल्प चुनता है तो सम्बन्धित विद्युत वितरण खण्ड के अधिशासी अभियन्ता का यह दायित्व होगा कि वह बिल संशोधन का विकल्प दर्ज होने की तिथि से अधिकतम 15 दिन के अन्दर उपभोक्ता को एस0एम0एस0 के माध्यम से संशोधित बिल एवं किश्त की सूचना प्रेषित करेगा। उपभोक्ता स्वयं भी अधिशासी अभियन्ता/उपखण्ड अधिकारी कार्यालय/सी0एस0सी0 से अपने संशोधित बीजक प्राप्त कर सकता है। किसी भी स्थिति में मैन्युअल रसीद से भुगतान प्राप्त नहीं किया जायेगा।

4 योजना में किश्त का विवरण :–

बकाया धनराशि (सरचार्ज रहित) को शहरी क्षेत्र के लिए अधिकतम 12 किश्तों एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिए अधिकतम 24 किश्तों में बॉटने के पश्चात् उपभोक्ता को प्रत्येक माह निर्धारित मासिक किश्त के साथ उस माह के बिल को जमा करना होगा। परन्तु प्रत्येक किश्त की धनराशि रू0 1500 से कम की नहीं निर्धारित की जा सकेगी।

5 अनुमन्य छूट देने की प्रक्रिया :–

इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के एल0एम0वी0–1 (अधिकतम 4 किलो वाट के विद्युत भार तक) दर श्रेणी विधा के पंजीकृत उपभोक्ताओं के माह अक्टूबर–2019 तक के विद्युत बीजकों में विलम्बित भुगतान सरचार्ज के रूप में लगायी गयी धनराशि फ्रीज कर दी जायेगी। उपभोक्ता को नियमित रूप से प्रतिमाह वर्तमान बिल तथा किश्त जमा करना होगा।

उपभोक्ता द्वारा दिनांक 31.10.2019 तक के मूल बकायें के विरूद्ध भुगतान किये जाने के पश्चात् उपभोक्ता के 31.10.2019 तक के बकाये पर लगा अधिभार समाप्त कर दिया जायेगा।

यदि किन्ही कारणों से उपभोक्ता 1 माह अपनी मासिक किश्त एवं वर्तमान बिल नही जमा कर पाता है तो उसे आगामी माह में 2 मासिक किश्त एवं दोनों माह का विद्युत बिल जमा करना अनिवार्य होगा।

लगातार 2 मासिक किश्त एवं 2 माह का विद्युत बिल न जमा करने पर उपभोक्ता का पंजीकरण निरस्त हो जायेगा। उपभोक्ता के भुगतान में डिफॉल्ट करने की स्थिति में शेष बकाया पर अनुपातिक एल0पी0एस0सी0 चार्ज किया जायेगा। निरस्त पंजीकरण के सम्बन्ध में पुनः विचार नहीं किया जायेगा तथा नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।

उपभोक्ता अपना बिल एक मुश्त भी जमा कर विलम्ब भुगतान अधिभार छूट का लाभ ले सकेगा।

6 **बिल संशोधन की प्रक्रिया :–**

कुछ उपभोक्ताओं के विवादित देय धनराशि, कटे संयोजनों पर बिल जारी होते रहने व इसी प्रकार के अन्य कारणों से बिल संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी। बिल का संशोधन व अवास्तविक धनराशि के संशोधन हेतु उपखण्ड अधिकारी से निम्न स्तर का कोई अधिकारी/कर्मचारी अधिकृत नहीं होगा। अतः जिन बकायेदारों के बिल संशोधित होने हैं उनकों शुद्ध बिल जारी करना उपखण्ड अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता का उत्तरदायित्व होगा। जिसके उपरान्त उनका योजना में पंजीकरण किया जायेगा।

7 रू0 3000 से कम बकाये वाले उपभोक्ता अपना पूरा पैसा एक बार में जमा कराकर छूट का लाभ उठा सकेंगे।

8 उपरोक्त योजना में माफ की गयी विलम्बित भुगतान अधिभार की धनराशि का वहन सम्बन्धित वितरण निगम द्वारा अपनी RoE(Return on Equity) की धनराशि से किया जायेगा।

9 उपखण्ड अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता द्वारा प्राप्त आवेदनों के बिल रिवीजन की प्रगति का अनुश्रवण ऑनलाइन प्रणाली पर उपलब्ध सूचना के माध्यम से सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (वितरण)/डिस्काम मुख्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

10 उपभोक्ताओं के पंजीकरण एवं बिल संशोधन के लिए नियमित रूप से ऑनलाइन कैम्पों का आयोजन किया जायेगा।

11 योजना के अन्तर्गत पंजीकृत सभी उपभोक्ताओं द्वारा वर्तमान बिल के साथ किश्तों के भुगतान की प्रगति का अनुश्रवण ऑनलाइन प्रणाली पर उपलब्ध सूचना के माध्यम से सम्बन्धित डिस्काम मुख्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।